न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 17/2022 तारीख रजू:— 22.03.2022

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. रमेश	पिसरान भूरसिंह, जाति जोगी,	
2 बनैसिंह	निवासी ग्राम ताहरपुर,	
3. श्रीफल	तहसील सूरौठ,	
4. हरदयाल	जिला करौली राजस्थान	—— आवेदकगण

बनाम

1. चन्दर पुत्र किशोरी	समस्त जाति जोगी,
2. विजेन्द्र पुत्र किशोरी	निवासी ग्राम ताहरपुर,
3. जमना पुत्र रामस्वरूप	तहसील सूरौठ,
4. पप्पू आयु पुत्र रामस्वरूप	जिला करौली राजस्थान।

5. श्रीमान तहसीलदार जी तहसील—सूरौठ, जिला करौली। ——— प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128—111 एल.आर.एक्ट

बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी

उपस्थित :— 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट आवेदकगण

2. श्री पी. एल. गोयल एडवोकेट प्रतिपक्षी सं01ता 4

निर्णय

दिनांक :— 16.12.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128—111 एल.आर.एक्ट बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी विरूद्ध प्रतिपक्षीगण पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 31 रकबा 0.75 है0,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नम्बर 382 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 384 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 86 रकबा 1.00 हैक्टेयर, कुल किता–8 कुल रकबा 3.76 हैक्टेयर ग्राम ताहरपुर, पटवार हल्का भुकरावली, तहसील–सूरौठ, जिला करौली (राज.) में स्थित है कि जिन पर आवेदकगण वअदाय लगान काबिज काश्त है एवं भूमियों को अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। आवेदकगण ने उक्त भूमियों को कृषि कार्य की उन्नति हेतु स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सूरौठ के यहां रहन रखकर ऋण भी लिया है। सकूनत जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि आवेदकगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 0.53 है0 किस्म चाही–2 के सटेवा ही प्रतिपक्षीगण की कृषि भूमियां है। प्रतिपक्षीगण लडाकू प्रवृति के लट्ठ वाले, पैसे वाले एवम् हर प्रकार से ताकतवर व्यक्ति है कि जो प्रतिवर्ष / हर वर्ष आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 0.53 है0 के चारों तरफ बनी मिट्टी की डोल को काटकर/तोडकर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास करते चले आ रहे हैं और आवेदकगण की कुछ भूमि को प्रतिपक्षीगण ने ताकत एवम् हठधर्मिता के बल पर डोल–मेड को तोडकर अपनी भूमि में मिला लिया है, एवम् आवेदकगण द्वारा मना करने एवं ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करने की कहने पर प्रतिपक्षीगण सं. 1 लगायत 4 एकराय होकर हल्ला–हेल कर भय का माहौल पैदा कर गाली–गलौच करते हुए मारने–पीटने, झगडा फसाद करने को उतारू हो जाते हैं एवं प्रतिपक्षीगण आये दिन भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 0.53 है0 की सीमा पर विवाद करते रहते हैं। आवेदकगण शान्तिप्रिय, कृषि कार्य एवं मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन–पोषण करने वाले कमजोर एवं कानून कायदों को मानने वाले व्यक्ति है, जबकि प्रतिपक्षीगण सं. 1 लगायत 4 अपनी मैन पावर एवं दादागिरी से आवेदकगण की भूमि को दबाकर अपनी भूमि में मिलाना चाहते हैं यानि आवेदकगण की भूमि को दबाने की ही इनकी नियत बनी हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है कि जिससे आम शान्ति भंग होने का भी पूर्ण अन्देशा है और प्रतिपक्षीगण कभी भी अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवेदकगण के साथ कोई भी अनहोनी वारदात कर सकते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रतिपक्षीगण सं. 1 लगायत 4, आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 0.53 है0 में आये दिन आवारा पशुओं को घुसा देते हैं जिससे आवेदकगण द्वारा अपनी भूमि में काश्त की गई फसल को नुकसान पहुंचता है और जब आवेदकगण ऐसा कार्य नहीं करने के लिए प्रतिपक्षीगण एवं इनके परिवारजन से कहते हैं तो ये लोग झगडा फसाद करने पर उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार सीमा विवाद व प्रतिपक्षीगण के अनैतिक कार्य से आवेदकगण अपनी कृषि भूमि का पूर्णरूपेण सही रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर पाते हैं। श्रीमान् तहसीलदार जी हिण्डौन के आदेश क्रमांक एलआर/2017/606 दिनांकित 21.09.2017 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.05.2017 को आवेदकगण व प्रतिपक्षीगण की उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 0.53 है0 का सीमाज्ञान कराया जाकर फर्द मौका तैयार किया गया था परन्तु प्रतिपक्षीगण बदनियती से उक्त सीमाज्ञान को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आवेदकगण पुनः अपनी भूमि खसरा नम्बर 409 का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाने के अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आवेदकगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 0.53 है0 का सर्वे/सीमाज्ञान श्रीमान् तहसीलदार जी सूरौठ द्वारा कराया जाकर पत्थरगढी करवाई जाकर उसकी रिपोर्ट श्रीमान् न्यायालय में मंगवाया जाना आवश्यकीय एवं न्यायसंगत है जिससे आवेदकगण अपनी कृषि भूमि का शान्तिपूर्वक तरीके से उपयोग–उपभोग कर सके।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि आवेदन पत्र वर्णित भूमि ग्राम–ताहरपुर, पटवार हल्का–भुकरावली, तहसील–सूरौठ, जिला–करौली (राज.) में स्थित है कि जिसके बावत् प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र नियमानुसार निश्चित न्यायशुल्क पर अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 409 रकबा 0.53 है0 स्थित ग्राम ताहरपुर, पटवार हल्का भुकरावली, तहसील सूरौठ, जिला करौली (राज.) के सर्वे/सीमाज्ञान हेतु प्रतिपक्षी नं. 5 तहसीलदार जी तहसील सूरौठ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.04.2022 को अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की ओर से श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 31.05.2022 को अप्रार्थी सं05 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की ओर से श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 01 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 31, 382, 384, 407, 409, 414, 415, 86 कुल किता 8 कुल रकवा 3.76 हैक्टेयर ग्राम तहारपुर तहसील हिण्डौन में स्थित होना सही है तथा आवेदकगण द्वारा खसरा नम्बर 409 को छोड़कर शेष भूमियों को अपने उपयोग उपभोग में लेना व लगान अदा करना सही है तथा खसरा नम्बर 409 व 410 तथा 411 की उत्तरी–पश्चिमी डोल के सहारे सहारे आने जाने हेतु आम रास्ता बजमाने बुजुर्गान खसरा नम्बर 412 की उत्तरी डोल से खसरा नम्बर 423 के मुख्य रास्ते पर जाता है जो खसरा नम्बर 409 की नक्शाशीट में डोटेड लाइन से भलीभांति साबित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 में वर्णित खसरा नम्बर 409 रकवा 0.53 है0 के सटवां प्रतिपक्षीगण की कृषि भूमि होना सही है, प्रतिपक्षीगण कोई लडाकू प्रवृत्ति के लट्ठ वाले, पैसे

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाले ताकतवर व्यक्ति नहीं है, बल्कि निहायत ही सीधे, सज्जन व गरीब लोग हैं। प्रतिपक्षीगण प्रतिवर्ष आवेदकगण की कोई भूमि खसरा नम्बर 409 रकवा 0.53 है0 की चारों तरफ बनीं कोई मिट्टी की डोल को काटकर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास करते नहीं आ रहे हैं और ना ही आवेदकगण की कुछ भूमि को प्रतिपक्षीगण ने ताकत के बल पर डौलमेड़ को तोड़कर अपनी भूमि में मिलाया और जब प्रतिपक्षीगण ने ऐसा कोई कृत्य किया ही नहीं तो आवेदकगण द्वारा मना करने और प्रतिपक्षीगण द्वारा एकराय होकर हल्लाहेल कर भय का माहौल पैदा कर गाली गलौज कर मारने पीटने व झगड़ा करने पर आमादा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आवेदकगण ने उक्त मद में यह कहीं नहीं बताया कि प्रतिपक्षीगण ने उक्त भूमि में उनकी कितनी भूमि पर डौल तोड़कर कब्जा कर अपनी भूमि में मिला लिया तथा किस तरफ की कितनी डौल कब तोड़ी, इस सम्बंध में कोई भी तथ्य उक्त मद में अंकित नहीं किया तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा गाली गलौज कर आवेदकगण को मारने पीटने पर कब आमादा हुए और इस सम्बंध में आवेदकगण द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, इस बावत् कोई भी तथ्य आवेदकगण द्वारा उक्त मद में अंकित नहीं किया है, जिससे भी उसकी झूठ का स्पष्ट पता चलता है। प्रतिपक्षीगण आए दिन खसरा नम्बर 409 की किसी सीमा पर कोई विवाद नहीं करते हैं और ना ही वह दादागिरी से आवेदकगण की किसी भूमि को दबाकर अपनी भूमि में मिलाना चाहते हैं और ना ही उनकी ऐसी कोई नीयत है, आवेदकगण की झूठ का पता तो इसी से चलता है कि वह एक तरफ तो प्रतिपक्षीगण द्वारा उक्त मद में वर्णित खसरा नम्बर की डौलमेंड़ को तोड़कर अपनी भूमि में मिलाना कहते हैं, दूसरी तरफ वह दादागिरी से भूमि को दबाकर मिलाने की नीयत बताते हैं, इस प्रकार आवेदकगण द्वारा उक्त मद में विरोधाभासी अभिवचन दर्ज किये हैं, जिससे भी आवेदकगण की झूठ स्पष्ट प्रतीत होती है, दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का कोई सीमा विवाद नहीं है और ना ही आम शांति भंग होने का कोई अंदेशा है। आवेदकगण की नीयत में बेईमानी है, आवेदकगण खसरा नम्बर 409 व खसरा नम्बर 410 व 411 की डौल के मध्य मौके पर बने हुए दक्षिणी—उत्तरी पश्चिमी रास्ते को समाप्त करके उसे बंद कर आवागमन को समाप्त करना चाहते

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हैं. इसी गरज से उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर दायर किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 03 गलत है व अस्वीकार है। प्रतिपक्षीगण, आवेदकगण की कोई भूमि खसरा नम्बर 409 में आए दिन कोई आवारा पशुओं को नहीं घुसाते और ना ही आवेदकगण को भूमि की काश्त में बोई हुई फसलों को नुकसान पहुंचा। जब प्रतिपक्षीगण ने ऐसा कोई कृत्य किया ही नहीं तो आवेदकगण द्वारा प्रतिपक्षीगण से इस बावत् मना करने और प्रतिपक्षीगण द्वारा झगड़ा फसाद करने पर उतारू होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रतिपक्षीगण द्वारा जब कोई अनैतिक कार्य किया ही नहीं जा रहा है तो आवेदकगण द्वारा अपनी कृषि भूमि के सही उपयोग नहीं करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दिनांक 26.05.2017 को आवेदकगण द्वारा प्रतिपक्षीगण की उपस्थिति में कोई खसरा नम्बर 409 रकवा 0.53 है0 का कोई सीमाज्ञान कराकर फर्द मौका तैयार नहीं कराया, जब ऐसा कोई सीमाज्ञान या उसकी कोई फर्द प्रतिपक्षीगण की उपस्थिति में तैयार हुई ही नहीं तो उक्त सीमाज्ञान को प्रतिपक्षीगण द्वारा नहीं मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, आवेदकगण द्वारा तथाकथित सीमाज्ञान के कोई तथ्य उक्त मद में अंकित नहीं किये हैं, बल्कि आवेदकगण की नीयत उक्त भूमि की डौल के सहारे मौके पर कायम दक्षिणी–उत्तरी पश्चिमी रास्ते की भूमि जिसमें कि प्रतिपक्षीगण की पूरी लम्बाई व करीब 10 फीट चौड़ाई में भूमि आती है को दबाकर रास्ता जो कि आमजन के सुचारू आवागमन हेतु मौके पर बना हुआ है पर कब्जा कर रास्ते को समाप्त करने रही है और इसी गरज से उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मौके के विपरीत तथ्यों को छिपाते हुए अनक्लीन हैण्ड से दायर किया है, इस सम्बंध में मौके की वास्तविक स्थिति हेतु पटवारी हल्का को उक्त रास्ते की वास्तविक स्थिति रिकॉर्ड पर लाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट मंगवायी जावे, ताकि वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आ सके और पक्षकारों के मध्य न्यायपूर्ण निस्तारण हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 04 गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत दायर किया गया है, खसरा नम्बर 409 की भूमि की डौल के सहारे मौके पर कायम दक्षिणी-उत्तरी पश्चिमी रास्ते की भूमि जिसमें कि प्रतिपक्षीगण की पूरी लम्बाई व करीब 10 फीट चौड़ाई में भूमि आती है, रास्ता जो कि आमजन के सुचारू आवागमन हेतु मौके पर बना हुआ है की मौके की वास्तविक स्थिति हेतु पटवारी हल्का को उक्त रास्ते की वास्तविक स्थिति रिकॉर्ड पर लाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट मंगवायी जावे, ताकि वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आ सके। आवेदकगण उक्त रास्ते की भूमि को उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से हड़प कर रास्ते को बंद करना चाहते हैं और इसी अल्टीरियर मोटिव से उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 05 कानूनी है तथा काबिले गौर अदालत है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 06 कानूनी है तथा काबिले गौर अदालत है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आवेदकगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072-75 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अप्रार्थी सं01 ता 4 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 0.75 है0, 382 रकबा 0.02 है0 384 रकबा 0.04 है0, 407 रकबा 0.46 है0, 409 रकबा 0.53 है0, 414 रकबा 0.50 है0, 415 रकबा 0.46 है0, 86 रकबा 1.00 है0 कुल किता–8 कुल रकबा 3.76 है0 ग्राम ताहरपुर तहसील सूरौठ की खातेदारी रमेश पुत्र भूरसिंह हि0 1/4, वनैसिंह पुत्र भूरसिंह हि0 1/4, श्रीफल पुत्र भूरसिंह हि0 1/4, हरदयाल पुत्र भूरसिंह हि0 1/4 जाति जोगी सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 0.75 है0, 382 रकबा 0.02 है0 384 रकबा 0.04 है0, 407 रकबा 0.46 है0, 409 रकबा 0.53 है0, 414 रकबा 0.50 है0, 415 रकबा 0.46 है0, 86 रकबा 1.00 है0 कुल किता–8 कुल रकबा 3.76 है0 ग्राम ताहरपुर तहसील सूरौठ के आवेदकगण खातेदार काश्तकार हैं। आवेदकगण खसरा नम्बर 409 रकबा 0.53 है0 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदकगण ने खसरा नम्बर 409 का नक्शा ट्रेस की नकल भी पेश नहीं की है और ना ही अप्रार्थी के द्वारा पेश किये गये जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं के का खण्डन किया गया है। खसरा नम्बर 409 व 410 तथा 411 की उत्तरी–पश्चिमी डोल के सहारे सहारे आने जाने हेतु आम रास्ता बजमाने बुजुर्गान खसरा नम्बर 412 की उत्तरी डोल से खसरा नम्बर 423 के मुख्य रास्ते पर जाता है जो खसरा नम्बर 409 की नक्शाशीट में डोटेड लाइन से दर्शित होना अवगत कराया है। इस प्रकार आवेदकगण ने तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128–111 एल. आर. एक्ट बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया है। इस प्रकार आवेदकण/प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 409 वाके ग्राम तहारपुर तहसील सूरौठ की पत्थरगढी कराने के अधिकारी साबित नहीं हैं। ऐसे हालात में आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128–111 एल.आर. एक्ट बाबत् कराये जाने पत्थरगढी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128–111 एल.आर.एक्ट बाबत् करवाये जाने पत्थरगढी विवादित आराजी खसरा नम्बर 409 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम ताहरपुर तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 16.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/12/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)